

8114200

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
सोहनलाल पुत्र शुभानाथ नरवाना वसुन्वासी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	309/2021	GCMS No. 2021/1102
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8114200	<p>वादी श्री सोहनलाल पुत्र शुभानाथ जाति नरवाना निवासी वसुन्वासी द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत वसुन्वासी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2074.2022 ग्राम वसुन्वासी पटवार मण्डल वसुन्वासी के खाता नम्बर 445 में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि सोहनलाल पुत्र शुभानाथ दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>वादी का शुद्ध नाम सोहनलाल पुत्र शुभानाथ है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 8780 2270 9532 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज PAN: ACUP164024 का.प्रि.कॉड ईकॉपी नं. 1879 प्रस्तुत की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)



126-1268